संख्या-23/2017/1012/84-1-17-15बामा/2013

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 11 सितम्बर, 2017

विषयः- श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की वसूली के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-537/निविमावि-अधि-1(वै0प0-37)/14, दिनांक 04.02.2014 के क्रम में उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 के पत्र संख्या-86/130/84-1-14-15बामा/2013, दिनांक 13.02.2014 व शुद्धि-पत्र संख्या-87/178/84-1-14-15बामा/2013, दिनांक 17.02.2014 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, बदायूँ केा इन्स्टीटयूट आफ लीवर एण्ड बिलियरी साइन्स, नई दिल्ली में लीवर प्रत्यारोपण कराये जाने हेतु अनुमानित व्यय आगणन रू0 14,00,000/- की 75 प्रतिशत धनराशि रू0 10,50,000/- (रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गयी थी:-

(1) कर्मचारी समायोजन/ प्रतिपूर्ति दावा इनके उपयोग किये जाने के तत्काल पश्चात किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह के पूर्व प्रसतुत करेगा।

(2) यदि अग्रिम के समायोजन के लिये चार माह के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी, जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा। जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।

2- इस संबंध में नियंत्रक के पत्र संख्या-429/निविमावि-लेखा-7(25)आ0-ले0प0/2016, दिनांक 03.02.2017 के द्वारा मुख्यतः यह अवगत कराया गया है कि श्री त्रिपाठी द्वारा उन्हें प्राप्त चिकित्सा अग्रिम रू0 10,50,000/- का उपयोग कतिपय चिकित्सीय कठिनायों/ कारणों जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है। दिनांक 25.01.2017 को विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उनके प्रकरण को भी संज्ञान में लिया गया और पाया गया कि श्री त्रिपाठी द्वारा चिकित्सा अग्रिम धनराशि को जानबूझ कर अपने पास रोके रखा गया, जो धन के गबन व वित्तीय अनियमितता की श्रेणी के अन्तर्गत है, जिसकी पूर्ण वसूली (मयब्याज) की देयता बनती है। नियंत्रक ने प्रकरण में समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार धनराशि रू0 10,50,000/- (रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) को मयब्याज के श्री त्रिपाठी से वसूल किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को इस मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया गया था कि श्री त्रिपाठी द्वारा चिकित्सा अग्रिम की वसूली पर लगने वाले ब्याज की दर क्या होगी तथा कुल किश्तों की संख्या क्या निर्धारित होगी एवं वसूल की जाने वाली धनराशि को किस लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

3- इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 13.02.2014 की शर्त संख्या-06 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

"यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।"

यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्चा/ प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम-15 स्तम्भ-2(झ) में निम्न व्यवसथा दी गयी है:-

"यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा, जो भविष्य निधि पर लागू सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगा।"

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को चिकित्सा अग्रिम के रूप में उन्हें दी गयी धनराशि रू0 10,50,000/- (रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) की वसूली दण्डात्मक ब्याज के साथ उक्तानुसार करते हुए उक्त धनराशि राजकोष में प्राप्ति पक्ष के "लेखाशीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-60-अन्य सेवाएं-800अन्य प्राप्तियाँ-07-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा कराने का कष्ट करें।

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2017/1012(1)/84-1-17-15बामा/2013 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ संबंधित कोषाधिकारी, कोषाधिकारी बरेली।
4- सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, बरेली संभाग, बरेली।
5- श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, बदायूं।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।